भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2727

जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

राष्ट्रीय अवसंरचना विकास बैंक

2727 श्रीमती बिजुली कलिता मेधी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एनबीएफआईडी के लिए वित्तपोषण और पूंजीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) एनबीएफआईडी किस तरह से निधियों का समय पर संवितरण और कुशल परियोजना निष्पादन सुनिश्चित करता है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक के निधियन और पूंजीकरण की वर्तमान स्थिति में मुख्यतः निम्नलिखित शामिल हैः

(i) भारत सरकार द्वारा 20,000 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता और 5,000 करोड़ रुपये का अनुदान।

(ii) अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) और ऋण के रूप में उधार दिनांक 31.12.2024 तक कुल 39,493 करोड़ रुपये।

(ख) राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त पोषण बैंक ने निम्नानुसार सूचित किया हैः

- परियोजना संबंधी ऋण की मंजूरी के पश्चात, संवितरण और परियोजना संबंधी क्रियान्वयन की निगरानी का संचालन इसके ऋण संबंधी प्रशासन - परिसंचालन और निगरानी विभाग के भीतर अलग, समर्पित टीमों द्वारा किया जाता है। ये टीमें समय पर संवितरण सुनिश्चित करती हैं, परियोजना संबंधी कार्य-निष्पादन समय सीमा की निगरानी करती हैं और आंतरिक और विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी आवश्यक नियंत्रण या समाधान का निपटान करती हैं।
- इसके अतिरिक्त, संवितरण, पूर्व-संवितरण शर्तों, जैसा कि स्वीकृति में उल्लिखित है, के पूरा हो जाने के बाद किया जाता है। जांच सूची(चेकलिस्ट) और मानक संचालन प्रक्रियाओं के माध्यम से उचित निगरानी व्यवस्था लागू की जाती है जिनमें शामिल हैं: (i) संवितरण पूर्व शर्तों का अनुपालन, (ii) प्रासंगिक अनुमोदन/मंजूरी और वैध बीमा की उपलब्धता, (iii) संतोषजनक तकनीकी सम्यक तत्परता, (iv) इक्विटी निवेश सहित वित्तीय प्रगति, यदि लागू हो (v) वास्तविक परियोजना प्रगति, यदि लागू हो और (vi) आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवार्य केवाईसी जांच।
- इसी तरह, परियोजना संबंधी कार्यनिष्पादन की निगरानी नियमित स्थलीय निरीक्षण और तकनीकी परियोजना निगरानी उपकरणों के माध्यम से की जाती है जिसमें शामिल हैं: (i) अधिकारियों द्वारा समय-समय पर स्थल का दौरा या निरीक्षण, (ii) तकनीकी मामलों में कार्यरत उधारदाताओं के स्वतंत्र इंजीनियर (एलआईई) और उधारदाताओं के बीमा सलाहकार (एलआईए) दोनों द्वारा प्रस्तुत मासिक प्रगति रिपोर्ट का विश्लेषण, (iii) संघ (कंसोर्टियम) की बैठकों में अन्य उधारदाताओं के साथ चर्चा, (iv) मंजूरी में निर्धारित अनुबंधों और शर्तों पर नज़र रखना, और (v) परियोजना के नकदी प्रवाह, ब्याज भुगतान और अन्य भुगतान इतिहास की निगरानी करना।

*****